उड़ीसा राज्य

बनाम

राजेंद्र त्रिपाठी और अन्य

6 मई 2004

(स्वामी राजू और अरिजीत पसायत, जे.जे.)

स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 - धारा 18, 21, 41, 42 और 50 - व्यक्तिगत तलाशी के दौरान आरोपी से हेरोइन जब्त करना - ट्रायल कोर्ट ने आरोपी को दोषी ठहराया और कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई - उच्च न्यायालय ने आरोपी को इस आधार पर बरी कर दिया खोज मेमो में अभियुक्त के नाम में सुधार और अभियोजन द्वारा जब्त वस्तुओं की सुरक्षित हिरासत की गैर-स्पष्टीकरण - तथ्यों और सबूतों के आधार पर, अभियोजन द्वारा अभियुक्त के नाम में सुधार और जब्त वस्तुओं की सुरक्षित हिरासत को उचित रूप से समझाया गया - इसलिए, अभियुक्तगण की दोषमुक्ति को पलट दिया गया और अभियुक्तगण को आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया गया।

आबकारी कर्मचारियों द्वारा की गई व्यक्तिगत तलाशी के दौरान प्रत्यर्थियों के पास पॉलिथीन जरी के पैकेटों में हेरोइन पाई गई। प्रत्यर्थियों पर हेरोइन के गैरकानूनी कब्जे के लिए स्वापक औषधि और मन:प्रभावी

पदार्थ अधिनियम, 1985 की धारा 21 के तहत अपराध के लिए मुकदमा चलाया गया था। प्रत्यर्थियों ने विचारण न्यायालय के समक्ष दलील दी कि उन्हें अपराध में झूठा फंसाया गया था और अभियोजन पक्ष द्वारा अधिनियम की धारा 41, 42 और 50 के तहत प्रावधानों का पालन नहीं किया गया था। विचारण न्यायालय ने प्रत्यर्थियों की दलीलों को खारिज कर दिया और उन्हें अधिनियम की धारा 18 और 21 के तहत दोषी पाया और उन्हें 10 साल के कठोर कारावास और डिफ़ॉल्ट शर्तों के साथ प्रत्येक को 1,00,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। अपील में उच्च न्यायालय ने पाया कि अधिनियम की धारा 41, 42 और 50 के कथित गैर-अनुपालन का कोई परिणाम नहीं था, लेकिन प्रत्यर्थियों को इस आधार पर बरी कर दिया कि खोज ज्ञापन में प्रत्यर्थियों के नामों में सुधार किया गया था और अभियोजन पक्ष द्वारा जब्ती के बाद वस्तुओं की सुरक्षित अभिरक्षा स्थापित नहीं की गई थी।

अदालत में अपील करते हुए, अपीलकर्ता-राज्य ने तर्क दिया कि पीडब्लू 5, आबकारी के उप-निरीक्षक ने अपने बयान में स्पष्ट रूप से प्रत्यर्थियों में से एक के नाम को सही करने का कारण बताया और कहा कि वस्तुओं को जानती के बाद नियंत्रण कक्ष में सुरक्षित हिरासत में रखा गया था।

प्रत्यर्थियों ने तर्क दिया कि अभियोजन पक्ष द्वारा दस्तावेजों में हेरफेर

किया गया था और जब्ती के बाद वस्तुओं की हिरासत के संबंध में कोई उचित स्पष्टीकरण नहीं था।

अपीलों को स्वीकार करते हुए न्यायालय ने माना:

अभिनिर्धारित किया: 1.1. रिकॉर्ड पर साक्ष्य स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि अग्रेषण रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से संकेत दिया गया था कि सामान मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जा रहा था। मजिस्ट्रेट के आदेशिका से पता चलता है कि व्यस्त होने के कारण उन्होंने निर्देश दिया कि नमूने एकत्र करने के उद्देश्य से वस्तुओं को 10.8.1992 को पेश किया जाना चाहिए। ऐसा प्रतीत होता है कि उच्च न्यायालय इस आधार पर आगे बढ़ा कि आदेश में ऐसा कुछ भी नहीं है जो यह दर्शाता हो कि वस्तुएं वास्तव में पेश की गई थीं। ऐसा प्रतीत होता है कि आदेश को ठीक से पढ़े बिना ही यह निष्कर्ष निकाला गया है। आदेश में ही स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि अग्रेषित रिपोर्ट में जांच अधिकारी ने रासायनिक जांच के लिए भेजे जाने हेतु नमूना निकालने का अनुरोध किया था। न्यायालय ने कहीं भी यह दर्ज नहीं किया कि वस्तुएं पेश नहीं की गईं और इसलिए नमूने नहीं लिए जा सके। दूसरी ओर, समय की कमी के कारण, न्यायालय ने मामले को स्वयं स्थगित कर दिया और निर्देश दिया कि नमूने लेने के उद्देश्य से मामले को 10.8.1992 को रखा जाए। पी.डब्लू.5 के साक्ष्य से यह भी पता चलता है कि सामान 10.8.1992 तक आबकारी विभाग के कार्यालय में

ताला और चाबी में सुरक्षित अभिरक्षा में रखा गया था। पीडब्ल्यू 5 को कोई सुझाव भी नहीं दिया गया कि वस्तुओं को सुरक्षित या उचित हिरासत में नहीं रखा गया था। ऐसा होने पर, सुरक्षित हिरासत पर संदेह करने वाला उच्च न्यायालय का निर्णय स्पष्ट रूप से अस्थिर है। 393-डी-ई, जी-एच; 394-ए-बी| (उड़ीसा राज्य बनाम कंदुरी साहू, (2004) 1 एससीसी 337, संदर्भित)

1.2. नाम में सुधार की आवश्यकता को 'पीडब्लू 1 और' 5 द्वारा स्पष्ट रूप से समझाया गया है। विचारण न्यायालय ने इस स्पष्टीकरण को स्वीकार कर लिया। लेकिन उच्च न्यायालय ने बिना किसी उचित कारण के, नाम में सुधार के संबंध में गवाहों द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण पर अविश्वास किया। बरी करने का निर्देश देने के लिए उच्च न्यायालय ने जिन कारकों पर विचार किया है, उनका कोई समर्थन करने योग्य आधार नहीं है। अपरिहार्य निष्कर्ष यह है कि अभियोजन पक्ष ने प्रत्यर्थियों के खिलाफ आरोप स्थापित किया है, और विचारण न्यायालय ने उन्हें सही तरीके से दोषी ठहराया था। हाई कोर्ट का दोषसिद्धि को पलटने वाला निर्णय बचाव योग्य नहीं है। [1394-डी-एफ]

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार: आपराधिक अपील संख्या 181-182/1999

1994 की आपराधिक अपील संख्या 195 और 309 में उड़ीसा उच्च

न्यायालय के निर्णय और आदेश दिनांक 4.12.96 से।

अपीलकर्ता की ओर से जन कल्याण दास।

प्रतिवादी संख्या 1-2 के लिए राजेश।

प्रतिवादी संख्या 3 के लिए श्रीमती सरला चंद्रा (एनपी)।

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति अरिजीत पसायत द्वारा सुनाया गया:

हेरोइन के कथित अवैध कब्जे के लिए प्रत्यर्थियों को स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (संक्षेप में 'अधिनियम') की धारा 18 और 21 के तहत दंडनीय अपराधों के कथित कमीशन के लिए मुकदमे का सामना करना पड़ा। विचारण न्यायालय ने प्रत्यर्थियों को दोषी पाया और प्रत्येक को 10 साल के कठोर कारावास और रुपये का जुर्माना भरने की सजा सुनाई। प्रत्येक को 1,00,000 रुपये जुर्माना और अन्यथा दो साल के लिए कठोर कारावास भुगतना होगा। आक्षेपित निर्णय द्वारा उच्च न्यायालय ने यह कहते हुए दोषसिद्धि और परिणामी सजा को रद्द कर दिया कि आरोप स्थापित नहीं हुए हैं।

अभियोजन पक्ष का संस्करण संक्षेप में इस प्रकार है :

6.8.1992 को कटक सदर के तत्कालीन आबकारी उप-निरीक्षक अपने कर्मचारियों के साथ कटक सदर पुलिस स्टेशन के अंतर्गत बालीकुडा

और काजीपटना क्षेत्र में गश्त कर रहे थे। गश्त के दौरान उन्हें देबा प्रसाद बारिक मिला जो बालिकुडा रेलवे स्टेशन के लेवल क्रॉसिंग के दूसरी ओर बालिकुडा और गोपालपुर की ओर जा रहा था। उसकी गतिविधि संदिग्ध पाई गई। इसलिए आबकारी उप-निरीक्षक (पी.डब्लू.5) अपने कर्मचारियों के साथ एक वाहन में आगे बढ़े और उसे हिरासत में ले लिया। पी.डब्लू. 5 ने मौके पर उपलब्ध गवाहों की उपस्थिति में, उसकी पहचान का खुलासा किया और आरोपी देबा की तलाशी लेने के अपने इरादे का खुलासा किया क्योंकि उसके पास प्रतिबंधित वस्तुएं होने का संदेह था। इसके बाद पी.डब्लू.5 ने उसे विकल्प दिया कि क्या वह अपनी व्यक्तिगत तलाशी लेने के लिए मजिस्ट्रेट या राजपत्रित अधिकारी के पास जाना चाहता है या उसे उसके द्वारा तलाशी लेने में कोई आपत्ति नहीं है (पी.डब्लू.5)।

चूंकि आरोपी देबा को पी.डब्लू.5 द्वारा तलाशी लेने पर कोई आपत्ति नहीं थी, उसके सभी अपेक्षित औपचारिकताओं को देखने के बाद गवाहों की उपस्थिति में व्यक्तिगत तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान उसके दाहिनी ओर की पैंट की जेब से एक पॉलिथीन सफेद रंग का जरी का पैकेट बरामद हुआ, जिसमें कुछ पाउडर था। पी.डब्लू. 5 को शक हुआ कि पाउडर हेरोइन है। तो उसने 10 मि.ली. जब्त किए गए सामान से पाउडर लिया और ड्रग टेस्टिंग किट के माध्यम से उसका परीक्षण किया जो उसके साथ ले जाया गया था। प्रारंभिक परीक्षण से पाउडर का रंग गुलाबी और उसके बाद बैंगनी

हो गया और कुछ अन्य रासायनिक परीक्षण करने के बाद और अपने सेवा अनुभव से, उन्हें पाउडर के हेरोइन होने का संदेह हुआ। चूंकि हेरोइन पाउडर रखना गैरकानूनी था, गवाहों की उपस्थिति में जरी पैकेट (एम.ओ.आई.) जब्त कर लिया गया। इसके बाद इसे 'ए' पहचान चिह्न के साथ एक लिफाफे में रखा गया। लिफाफे को गवाहों की उपस्थिति में पी.डब्लू. 5 की व्यक्तिगत मुहर और गवाहों के साथ-साथ अभियुक्तों के हस्ताक्षर वाले पेपर सील द्वारा सील कर दिया गया था। जिसे गवाहों के समक्ष भी जब्ती सूची के तहत जब्त कर लिया गया।जब्ती सूची की एक प्रति गिरफ्तार आरोपित डेबा को सौंप दी गयी। आरोपी डेबा से पूछताछ के दौरान उसने उसे हेरोइन सप्लाई करने वाले अन्य आरोपी बालीकुडा के सीताराम त्रिपाठी के नाम का खुलासा किया। इसलिए पी.डब्लू. 5 तुरंत अपने स्टाफ के साथ आरोपी डेबा के साथ आरोपी सीताराम त्रिपाठी की तलाश में ग्राम बालीकुडा की ओर रवाना हुआ। वे आरोपी राजेंद्र त्रिपाठी सीताराम त्रिपाठी का बेटा था, के किराए के घर के पास पहुंचे, जो घर के पास वाली सड़क पर है। आबकारी अमले को देखते ही आरोपी राजेंद्र अपने घर की ओर भागने लगा, लेकिन उसका पीछा कर उसके घर के सामने पकड़ लिया गया, जहां दूसरा आरोपी सीताराम भी खड़ा था। जिन गवाहों ने आरोपी देबा की तलाशी, जब्ती की पुष्टि की थी, वे भी वहां आए थे, पीडब्लू 5 ने फिर से खुलासा किया अपनी पहचान का और दोनों अभियुक्तों राजेंद्र और सीताराम को इरादा बताया कि उनके पास प्रतिबंधित वस्तुएं होने का संदेह है और उनसे पूछा कि क्या वे

किसी राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट के सामने तलाशी लेना चाहते हैं या यदि उनकी व्यक्तिगत तलाशी स्वयं पी.डब्ल्यू.5 द्वारा ली जाए तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। .दोनों आरोपियों राजेंद्र और सीताराम ने मजिस्ट्रेट या राजपत्रित अधिकारी के पास जाने का विकल्प नहीं चुना और पी.डब्ल्यू.5 द्वारा उनकी व्यक्तिगत तलाशी के लिए सहमति दी। इसके बाद पी.डब्ल्यू.5 ने गवाहों की मौजूदगी में तलाशी की सभी औपचारिकताओं का पालन करने के बाद दोनों आरोपियों सीताराम और राजेंद्र की व्यक्तिगत तलाशी ली।तलाशी के दौरान आरोपी राजेंद्र की दाहिनी ओर की पैंट की जेब से एक जरी का पैकेट बरामद हुआ, जिसमें कुछ पाउडर था। तोलने पर यह 5 ग्राम आया। पी.डब्लू.5 ने उक्त जरी पैकेट पर पहचान चिन्ह लगाया 'बी' के रूप में चिह्नित करें। इसके बाद आरोपी सीताराम की व्यक्तिगत तलाशी के दौरान उसकी दाहिनी ओर की पैंट की जेब से कुछ पाउडर वाला एक जरी पैकेट बरामद किया गया और वजन करने के बाद यह 11 ग्राम पाया गया। उक्त पैकेटों पर पहचान चिह्न 'सी' अंकित था। पी.डब्लू. 5 ने 10 मिलीलीटर लेकर वैसे ही परीक्षण किए जो पहले आरोपी डेबा के मामले में किए गए थे। प्रत्येक पैकेट से और परीक्षण के बाद उन्हें पुष्टि हुई कि जरी पैकेट की सामग्री यानी पाउडर हेरोइन थी। दोनों जरी पैकेटों को गवाहों की उपस्थिति में जब्त कर लिया गया और जब्ती सूची तैयार की गई और पैकेटों को पीतल और पेपर सील के माध्यम से जब्त कर लिया गया।

आरोपी सीताराम के घर की भी तलाशी ली गई और केवल एक बैलेंस स्केल बरामद हुआ और घर में कोई प्रतिबंधित वस्तु नहीं मिली। बैलेंस स्केल भी जब्त कर लिया गया और उसके बाद दोनों आरोपी व्यक्तियों सीताराम और राजेंद्र को अन्य आरोपी देबा के साथ 7.8.1992 को गिरफ्तार कर अदालत में प्रेषित कर दिया गया। उस दिन जब्त वस्तुओं को रासायनिक विश्लेषण के लिए भेजने के लिए न्यायालय से प्रार्थना की गई थी। चूंकि अदालत पर समय और छुट्टियों के लिए बहुत था, इसलिए अदालत ने पी.डब्ल्यू.5 को जब्त की गई वस्तुओं को सुरक्षित हिरासत में रखने का निर्देश दिया और उसने (पी.डब्ल्यू.5) अपने वरिष्ठ अधिकारी के निर्देश के अनुसार उसे अपने कार्यालय में सुरक्षित हिरासत में रखा और उसके बाद न्यायालय के आदेश से, इसे रासायनिक विश्लेषण के लिए भेजा गया और बाद में इसकी पुष्टि हुई कि जरी पैकेट की सामग्री हेरोइन थी। हेरोइन के गैरकानूनी कब्जे के लिए अधिनियम की धारा 21 के तहत दंडनीय अपराध करने के लिए आरोपी व्यक्तियों पर मुकदमा चलाया गया था।

अभियुक्त सीताराम ने दलील दी कि क्योंकि वह एक पुलिस निरीक्षक था और उसने मुख्य सरकारी गवाह, मामले के जांच अधिकारी यानी पी.डब्ल्यू.5 के नियंत्रण वाले क्षेत्र में अवैध आसवित शराब के गैरकानूनी कारोबार पर आपत्ति जताई थी, इसलिए उसने झूठा आरोप लगा कर

फँसाया गया। उसको घर से जबरदस्ती खींचकर गाड़ी में डाल लिया और जब उसके बेटे आरोपी राजेंद्र जो कि कॉलेज का छात्र है, ने विरोध किया तो उसे भी जबरन गाड़ी में डाल लिया। दूसरे आरोपी देबा ने दलील दी कि वह शौच के लिए लेवल क्रॉसिंग की ओर गया था और जब वह लौट रहा था तो उसे पी.डब्ल्यू. 5 ने हिरासत में ले लिया, जो चाहते थे कि वह अन्य दो व्यक्तियों के विरुद्ध मामले में गवाह बने। चूंकि उसने इनकार कर दिया तो उसे झूठा फंसाया गया। आरोपों को साबित करने के लिए अभियोजन पक्ष द्वारा अपने मामले के समर्थन में छह गवाहों से पूछताछ की गई। पी.डब्लू. 1 आबकारी का सहायक उप-निरीक्षक था जिसके साथ पी.डब्लू. 5 था जो हिरासत में लेने वाला अधिकारी था। अभियुक्तों ने अपनी दलील को साबित करने के लिए तीन गवाहों परीक्षित कराया। ट्रायल कोर्ट ने पाया की पी.डब्लू. 1 और 5 के साक्ष्य को विश्वसनीय माना गया और माना गया कि अधिनियम की धारा 41, 42 और 50 के प्रावधानों का अनुपालन न करने के संबंध में आरोपी व्यक्तियों की दलील निराधार थी। यह माना गया कि कानून में आवश्यकताओं का अनुपालन किया गया था। अपील में, उच्च न्यायालय ने पाया कि धारा 41, 42 और 50 का कथित गैर-अनुपालन वास्तव में कोई परिणाम नहीं था, क्योंकि आरोपी व्यक्ति दो कारकों के कारण बरी होने के हकदार थे; सबसे पहले, उन व्यक्तियों के नाम के संबंध में खोज ज्ञापन में सुधार किया गया था। जिनके पास से प्रतिबंधित वस्तुएं मिली थीं और दूसरी बात यह कि जब्ती के बाद इन

वस्तुओं की हिरासत के संबंध में। प्रारंभ में किसी काशीनाथ त्रिपाठी का नाम लिखा गया था जिसे बाद में सुधार कर सीताराम त्रिपाठी कर दिया गया। इसके अलावा, हालांकि कथित तौर पर जब्ती 7.8.1992 को की गई थी। 10.8.1992 तक प्रतिबंधित वस्तुओं के नमूने एकत्र नहीं किये गये थे। यह स्थापित नहीं किया गया कि बीच की अवधि के दौरान वस्तुएं सुरक्षित अभिरक्षा में थीं। संबंधित न्यायालय के आदेशिका में यह नहीं दर्शाया गया है कि जब्त की गई वस्तुएं वास्तव में पेश की गई थीं। उपरोक्त टिप्पणी के साथ दोषसिद्धि और परिणामी सजा को रद्द कर दिया गया ।

अपील के समर्थन में, अपीलकर्ता-राज्य के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि यह पाया गया कि धारा 42 और 50 में निहित प्रावधानों के कथित उल्लंघन का वास्तव में कोई परिणाम नहीं था और स्पष्ट निष्कर्ष के मद्देनजर कि कोई उल्लंघन नहीं था, उच्च न्यायालय को चाहिए अस्थिर आधारों पर प्रासंगिक दोषसिद्धि में हस्तक्षेप नहीं किया है। पी.डब्ल्यू. 5 ने स्पष्ट रूप से संकेत दिया था कि मूल रूप से लिखे गए काशीनाथ त्रिपाठी के स्थान पर सीताराम का नाम रखने की आवश्यकता क्यों थी। इसके अलावा अभिलेख पर मौजूद साक्ष्य स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं कि प्रतिबंधित सामग्री को रिमांड आवेदन के साथ अदालत के समक्ष पेश किया गया था।

अग्रेषण रिपोर्ट स्पष्ट रूप से इंगित करती है कि जब्त किए गए सामान आरोपी व्यक्तियों के साथ पेश किए गए थे। पी.डब्लू. 5 ने यह भी

स्पष्ट रूप से कहा था कि सामान नियंत्रण कक्ष में सुरक्षित अभिरक्षा में रखा गया था। संबंधित मजिस्ट्रेट के निर्देशानुसार नमूने लिये गये। अतः उच्च न्यायालय के निष्कर्ष स्पष्ट रूप से टिकाऊ नहीं हैं।

जवाब में, प्रतिवादी नंबर 1 और 2 के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि उच्च न्यायालय ने तथ्यात्मक स्थिति का विश्लेषण किया है और पाया है कि दस्तावेजों में हेरफेर किया गया था और कोई उचित स्पष्टीकरण नहीं था।7.8.1992 से 10.8.1992 तक वस्तुओं की अभिरक्षा के संबंध में। ऐसा होने पर, उच्च न्यायालय के निष्कर्षों को ग़लत नहीं ठहराया जा सकता।

प्रतिवादी नंबर 3 की ओर से कोई उपस्थिति नहीं, हालांकि इस अदालत में उनका प्रतिनिधित्व वकील द्वारा किया गया था।

यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय के समक्ष आरोपी व्यक्तियों द्वारा अधिनियम की धारा 42 और 50 का अनुपालन न करने का आरोप लगाते हुए रुख अपनाया गया था। इस अपील में उत्तरदाताओं द्वारा इसे छोड़ दिया गया था और हमारे विचार से यह सही है। उस समय को ध्यान में रखते हुए जब तलाशी और जब्ती की गई, और निर्विवाद स्थिति यह है कि पता तब लगाया गया जब अधिकारी गश्त ड्यूटी पर थे, धारा 42 का कोई उपयोग नहीं है। इसके अतिरिक्त पी.डब्ल्यू 1 और 5 के साक्ष्य स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं कि आरोपी व्यक्तियों को निर्धारित अधिकारी की उपस्थिति में तलाशी लेने की छूट दी

गई थी और उन्होंने पी.डब्ल्यू.5 के अलावा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा तलाशी लेने का विकल्प नहीं चुना। इसलिए धारा 50 के गैर-अनुपालन से संबंधित याचिका, जैसा कि मुकदमे के दौरान और उच्च न्यायालय के समक्ष उठाया गया था, रियायत के अलावा, अधिनियम की धारा 42 और 50 की गैर-प्रयोज्यता के बारे में याचिका भी बिना किसी तथ्य के है। शेष प्रश्न प्रतिबंधित सामग्री की हिरासत और जब्ती ज्ञापन में सुधार के संबंध में है। रिकॉर्ड पर साक्ष्य स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि अग्रेषण रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से संकेत दिया गया था कि सामान मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जा रहा था। मजिस्ट्रेट के आदेशिका से पता चलता है कि व्यस्त होने के कारण उन्होंने निर्देश दिया कि नमूने एकत्र करने के उद्देश्य से वस्तुओं को 10.8.1992 को पेश किया जाना चाहिए।

आदेश का प्रासंगिक भाग इस प्रकार है:

"यह देखा गया है कि जांच अधिकारी अपनी अग्रेषित रिपोर्ट में नमूना लेने और उसे रासायनिक परीक्षण के लिए भेजने की प्रार्थना करता है। आज समय नहीं है। हालांकि, इस उद्देश्य के लिए 10.8.1992 को रखा गया है। जांच अधिकारी को तैयार होने के लिए निर्देशित किया जाता है नमूना लेने और उसे रासायनिक परीक्षण के लिए एफ.एस.एल., भुवनेश्वर को भेजने के लिए।"

ऐसा प्रतीत होता है कि उच्च न्यायालय इस आधार पर आगे बढ़ा कि आदेश में ऐसा कुछ भी नहीं है जो यह दर्शाता हो कि वस्तुएं वास्तव में उत्पादित की गई थीं। ऐसा प्रतीत होता है कि आदेश को ठीक से पढ़े बिना ही यह निष्कर्ष निकाला गया है। आदेश में ही स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि अग्रेषित रिपोर्ट में जांच अधिकारी ने रसायिक जाँच में भेजने के लिये नमूना लेने का अनुरोध किया था। न्यायालय ने कहीं भी यह दर्ज नहीं किया कि वस्तुएं उत्पादित नहीं की गईं और इसलिए नमूने नहीं लिए जा सके। दूसरी ओर, समय की कमी के कारण, न्यायालय ने मामले को स्वयं स्थगित कर दिया और निर्देश दिया कि नमूने लेने के उद्देश्य से मामले को 10.8.1992 को उठाया जाए। पी.डब्ल्यू.5 के साक्ष्य से यह भी पता चलता है कि सामान 10.8.1992 तक उत्पाद शुल्क विभाग के कार्यालय में ताला और चाबी के नीचे सुरक्षित अभिरक्षा में रखा गया था। पी.डब्लू. 5 को कोई सुझाव भी नहीं दिया गया कि वस्तुओं को सुरक्षित या उचित हिरासत में नहीं रखा गया था। ऐसा होने पर, सुरक्षित हिरासत पर संदेह करने वाला उच्च न्यायालय का निर्णय स्पष्ट रूप से अस्थिर है। लगभग समान तथ्यात्मक पृष्ठभूमि में, इस न्यायालय ने उच्च न्यायालय के दृष्टिकोण को अस्थिर माना था। (उड़ीसा राज्य बनाम कंदुरी साहू, [2004] 1 एससीसी 337)

अन्य कारक जो उच्च न्यायालय के विचाराधीन है, वह यह है कि

जब्ती ज्ञापन में नाम में सुधार किया गया था। पी.डब्लू.-1 एवं 5 ने इस पहलू को स्पष्ट किया है। यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि प्रारंभ में आरोपी क्रमांक 3 द्वारा जो नाम दिया गया था काशीनाथ त्रिपाठी थे. लेकिन लगातार पूछताछ करने पर बाद में बताया गया कि असली नाम सीताराम त्रिपाठी है। ऐसा होने पर, सुधार की आवश्यकता को स्पष्ट रूप से समझाया गया है। विचारण न्यायालय ने इस स्पष्टीकरण को स्वीकार कर लिया। लेकिन उच्च न्यायालय ने बिना किसी उचित कारण के गवाहों द्वारा दिए गए नाम में सुधार का स्पष्टीकरण पर विश्वास नहीं किया। बरी करने का निर्देश देने के लिए उच्च न्यायालय ने जिन कारकों पर विचार किया है, उनका कोई समर्थन करने योग्य आधार नहीं है। अपरिहार्य निष्कर्ष यह है कि अभियोजन पक्ष ने उत्तरदाताओं के खिलाफ आरोप स्थापित किया है, और विचारण न्यायालय ने उन्हें सही तरीके से दोषी ठहराया था। हाई कोर्ट का फैसला दोषसिद्धि को पलटना अक्षम्य है।

अपीलें स्वीकार की जाती हैं। उच्च न्यायालय के फैसले को रद्द कर दिया गया है और निचली अदालत के फैसले को बहाल कर दिया गया है। प्रतिवादी-अभियुक्त व्यक्तियों के जमानत मुचलके रद्द कर दिए जाएंगे और उन्हें विचरण न्यायालय द्वारा लगाई गई शेष सजा काटने के लिए तुरंत हिरासत में आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया जाएगा।

बी.एस. अपील स्वीकार

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी आरूष त्रिपाठी (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण : यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।